

135
24

पमानली पेशा दुर्ग वकील प्राची हाकि
वकील प्राची को अप्राचीणते केली
पेश करी के ~~मुम्त~~ पर्याप्त आवक
दिया जा चुका है लेकिन पर्याप्त आवक

तारीख हुकम	हुकम या कार्यावाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त अहकाय ज हुकम की त जारी हुए
	<p>दिये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक बाबिल की रसीद पेश नहीं की। अतः प्राप्ति का अवकाश अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कायदा की आधि तिम अन्तर्गत आवेश न किया है कि तबत खारिज किया जाता है। पत्रावली के क्रम श्रुमार होकर नम्बर से कल को वारिह कफतर है।</p>	

